# Bihar State Power Transmission Company Limited

(Regd. Office: Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)
TINVAT NO-10011255025 CIN-U40102BR2012SGC018495
Website: www.bsptcl.bih.inc.in

**DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION**

**संक्ल्प संख्या –** 3023 **दिनांक–** 14.12.2023
**T-I/Alleg-CE-41005/2023**

श्री ब्रजेश कुमार, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, सम्प्रति महाप्रबंधक–सह मुख्य अभियंता (प्रभारी), संचरण जोन, भागलपुर को बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–224 दिनांक–09.03.2022 द्वारा एन0 पी0 टी0 आई0 बदरपुर, नई दिल्ली में दिनांक–28.03.2022 से 08.04.2022 तक "Ground Mounted Grid Connected Solar Power " विषय पर प्रशिक्षण हेतु 10 अभियंताओं के साथ भेजा गया था। उस प्रशिक्षणार्थी दल में श्री कुमार के साथ अन्य अभियंताओं समेत श्रीमती प्रीति कुमारी, सहायक कार्यपालक अभियन्ता, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना भी शामिल थी। श्रीमती प्रीति कुमारी द्वारा एन0 पी0 टी0 आई0, बदरपुर, नई दिल्ली में प्रशिक्षण के दौरान श्री कुमार के विरूद्ध यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक शिकायत पत्र बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना के स्तर पर गठित महिला शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष को दिनांक–11.04.2022 को समर्पित किया गया । महिला शिकायत निवारण समिति ने उक्त मामले की नियमानुसार जाँच कर जाँच प्रतिवेदन बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना कार्यालय को समर्पित किया, जिसे अवर सचिव, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक–394 दिनांक–09.06.2023 द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को उपलब्ध कराया गया । उक्त जाँच प्रतिवेदन में श्रीमती प्रीति कुमारी, सहायक कार्यपालक अभियंता (जी0 टी0 ओ0), बिहार स्टेट, पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना द्वारा लगाये गये श्री ब्रजेश कुमार, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड सम्प्रति महाप्रबंधक–सह मुख्य अभियंता (प्रभारी) संचरण जोन, भागलपुर के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित मानते हुए दोषी करार दिया गया ।

उल्लेख करना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या–17903 दिनांक–29.12.2014 द्वारा महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के संबंध में दिशा–निर्देश एवं शिकायत निवारण समितियों के गठन के निदेश निर्गत किया गया है। यह निदेश Hon'ble Supreme Court द्वारा Vishakha & Others Vs State of Rajasthan & Others (Jt.1997(7) SC 384) में दिये गये निदेश पर आधारित है। DoP के FAQ के अनुसार "In its Order dated 26.04.2004 in the Writ Petition No. 173-177/1999 in the case of Medha Kotwal Lele and Ors. Vs. UOI & Ors. the Hon'ble Supreme Court has directed that the Reports of the Complaints Committee shall be deemed an Inquiry Report under the CCS Rules. Thereafter, the Disciplinary Authority will act on the report in

accordance with the Rules'. Sub-Rule (2) of Rule 14 of CCS (CCA) Rules, 1965 has accordingly been amended to provide that the Complaints Committee shall be deemed to be the Inquiry Authority for the purpose of these Rules by the Notification No. 11012/5/2001-Estt. A dated 01.07.2004 (GSR 225 dated 10th July, 2004). In view of the said ammendment made to the CCS (CCA) Rules, the instructions contained in DoPT's O.M. dated 12th Dec., 2002 stands modified and the report of the Complaints Committee should be treated as an inquiry report and **not** a preliminary report."

अतएव उक्त महिला यौन उत्पीड़न समिति के प्रतिवेदन के पश्चात् उक्त मामले में अलग से विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की आवश्कता महसूस नहीं की गई एवं महिला यौन उत्पीड़न समिति के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री ब्रजेश कुमार, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, सम्प्रति महाप्रबंधक–सह मुख्य अभियंता (प्रभारी), संचरण जोन, भागलपुर से इस कार्यालय के पत्रांक–1530 दिनांक–04.07.2023 द्वारा कारण–पृच्छा निर्गत किया गया।

श्री कुमार द्वारा कारणपृच्छा का जवाब दिनांक–04.08.2023 को समर्पित किया गया। इसके समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा अपने कारणपृच्छा जवाब में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो उनके द्वारा महिला शिकायत निवारण समिति के समक्ष लिखित जवाब में समर्पित किया गया था। अर्थात श्री कुमार द्वारा अपने कारणपृच्छा जवाब दिनांक–04.08.2023 में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव श्री कुमार के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा जवाब को असंतोषजनक पाते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा **"दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"** की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार, श्री ब्रजेश कुमार, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड सम्प्रति महाप्रबंधक–सह मुख्य अभियंता (प्रभारी), संचरण जोन, भागलपुर को श्रीमती प्रीति कुमारी, सहायक कार्यपालक अभियंता, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, पटना द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के उक्त मामले में दोषी मानते हुए **"दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"** की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

**आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति श्री ब्रजेश कुमार, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, सम्प्रति महाप्रबंधक–सह मुख्य अभियंता (प्रभारी), संचरण जोन, भागलपुर को उपलब्ध कराई जाय।**

**आदेशानुसार**

14/12/23

**(अरूण कुमार सिंह)**
अवर सचिव

**ज्ञापांकः–** 3024 **दिनांक–** 14.12.2023

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना / प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

14/12/23

**(अरूण कुमार सिंह)**
अवर सचिव

**ज्ञापांकः–** 3024 **दिनांक–** 14.12.2023.

प्रतिलिपिः– निदेशक (परिचालन)/निदेशक (परियोजना)/सभी मुख्य अभियंता/सभी महाप्रबंधक–सह मुख्य अभियंता/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/उप महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/उप सचिव/सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/सभी अवर सचिव/DBA/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/उप विधि परामर्शी/ सभी सहायक कार्यपालक अभियंता/प्रशासी पदाधिकारी (ERP)/सभी लेखा पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं श्री ब्रजेश कुमार, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड सम्प्रति महाप्रबंधक–सह मुख्य अभियंता (प्रभारी), संचरण जोन भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

2. DBA से अनुरोध है कि इसे कम्पनी के बेबसाईट पर अपलोड करवाया जाय।

14/12/23

**(अरूण कुमार सिंह)**
अवर सचिव )